

श्रीमानजी मुताबिक राजस्व जांच दफ्तर की डांग के परमान जमाबंदी खा.नं. 123 में किशना पुत्र छोटू टि. 113 जाति रावत सा. पैद फर्म है। जबकि उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र परिकार रक्षणकार्ड आयकर और डायरी की जांच करने पर डिशन सिटि पुत्र छोटू सिटि टि. 113 जाति रावत है। अतः संलग्न दस्तावेज अनुसार डिशन पुत्र छोटू के स्थान पर डिशन सिटि पुत्र छोटू सिटि डिमा जाना इचित होगा

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज के अनुसार
 डिशन सिटि पुत्र छोटू सिटि डिमा जाना उचित होगा।
 4/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट प्यवारी र शुद्ध यथा उचित है।
 शिविर प्रभाषी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 553

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/320

दिनांक:- 6/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~राजस्थान~~ तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2015 के खाता संख्या 123/74 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
123	किशना पुत्र छोटू रावत दोड़ रोड नसीराबाद	2572	1.94	किशना सिटि पुत्र छोटू सिटि दोड़ रोड नसीराबाद	2572	1.94
	क्रमांक → 5379-80			दिनांक → 6/10/25		

प्रतिनिधि तहसीलदार नसीराबाद का पाबलगी
 2. शिविर प्रभाषी

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर